

18/1/24

पत्रावली पत्र (1) अधिवक्ता धरि
 अधिन पत्र ने मूल अधिन पत्र
 स्वीकार कर शस्ता स्वीकार
 किया जा चुका है एतद्गत
 अधिन पत्र को आगे चलाये
 जाते है उचित जली नही
 होता है अधिन पत्र स्वीकार
 होने के बाद 15 CPC अधिन
 पत्र नय अधिवक्ता निचे वाका
 दिने 5/1/24 को स्वीकार
 किया जाता है पत्रावली केमल
 एकल करिखल कमल दे B

